उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 4/2018/बी-1-864/दस-2018-15/2003

लखनऊ : दिनाँक : 31 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों में व्यय के अनुमानों को निर्धारित संगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आय-व्ययक को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-2020 से निम्नांकित पाँच अतिरिक्त मानक मदें खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

54 - पेंशन अवशेषों का भुगतान
55 - मकान किराया भत्ता
56 - नगर प्रतिकर भत्ता
57 - प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

मानक मद **"54 - पेंशन अवशेषों का भुगतान"** के अन्तर्गत वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप पेंशनरों को देय अवशेष पेंशन का व्यय सम्मिलित किया जायेगा ।

मानक मद **"55 - मकान किराया भत्ता"** के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा ।

मानक मद **"56 - नगर प्रतिकर भत्ता"** के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को देय नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा ।

मानक मद **"57 - प्रैक्टिस बन्दी भत्ता"** के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन.पी.ए.) के रूप में देय धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा ।

मानक मद **"58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान"** के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर रखे गये स्टाफ पर व्यय सम्मिलित किया जायेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आय-व्ययक तैयार करते समय उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय के अनुमानों को परिष्कृत मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत किया जाय ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 4/2018/बी-1-864(1)/दस-2018-15/2003, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

http://s a anades .u .nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।